Welfare, in consultation with Ministry of Law, prohibits manufacture and sale of formulations considered ineffective or irrational or where the possible risk of administration of the drug may outweigh the benefits due to its administration.

तम्बाकू की खेती को बढ़ावा दिया जाना

1916. **श्री अजीत जोगी:** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार नये क्षेत्रों में तम्बाकू की खेती को बढ़ावा देने का विचार रखती है;

(ख) यदि हां, तो उसका राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मध्य प्रदेश में तम्बाकू की खेती की संभावना का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ङ) इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम): (क) और (ख) नए क्षेत्रों में तम्बाकू की खेती करने का फिलहाल सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) और (घ) केन्द्रीय तम्बाकू अनुसंधान संस्थान राजामुन्दरी द्वारा मध्य प्रदेश के बस्तर जिले में कुछ प्रयोगात्मक परीक्षण किये गये हैं। परीक्षण के परिणाम उत्साहवर्धक बताये गये हैं।

(ङ) इन परीक्षणों पर अभी तक केन्द्रीय तम्बाकू अनुसंधान संस्थान द्वारा तीस हजार रूपये की राशि खर्च की गई है।

कमान विकास कार्यक्रम क्षेत्र के अंतर्गत किसानों की सक्रिय भागीदारी के संबंध में निर्णय

1917. **श्रीमती सुषमा स्वराज:**
श्री राम जेठमलानी:

क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत किसानों की सक्रिय भागीदारी लेने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि इस उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा राज्य सरकारों को सलाह दी गई है;

(ग) यदि हां, तो उक्त सलाह का ब्यौरा क्या है और यह सलाह राज्य सरकारों को कब दी गई थी;

(घ) क्या कतिपय राज्यों ने सरकार की उक्त सलाह पर अमल किया है;

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में की गई कार्रवाई का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(च) उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां इस सलाह पर अभी तक कोई अमल नहीं किया गया है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी॰वी॰ रंगैया नायडू): (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) विवरण I में संलग्न है (नीचे देखिए)

(घ) जी हां।

(ङ) और (च) विवरण II में संलग्न है।

विवरण-I

केन्द्र प्रायोजित कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत किसानों की भागीदारी के संबंध में राज्य सरकारों को संघ सरकार द्वारा दी गई सलाह का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं॰	संदर्भ	सलाह का ब्यौरा
1	2	3
1.	पत्र सं॰ 10-37/85-क॰क्षे॰ वि भारत सरकार जल संसाधन मंत्रालय नई दिल्ली, दिनांक 16 अक्तूबर, 1985.	जल के वितरण और प्रबन्ध में किसानों को शामिल करने तथा एक माइनर में एक प्रायोगिक परियोजना के साथ माइक्रो स्तर पर वितरण प्रणाली के रख-रखाव के लिए कार्य अनुसंधान शुरू करना तथा उसके परिणाम अन्य क्षेत्रों तक पहुंचाना।
2.	पत्र सं॰ 10—37/85-क॰क्षे॰वि॰ भारत सरकार जल संसाधन मंत्रालय नई दिल्ली, दिनांक 30 अप्रैल, 1987.	राज्यों को सिंचाई प्रणालियों के जल प्रबंध में किसानों को शामिल करने संबंधी दिशानिर्देश दिए गए थे और उनसे अनुरोध किया गया कि किसान संघ बनाकर किसानों की सहभागिता बढ़ाई जाये।
3.	पत्र सं॰ 7—13/93 क॰क्षे॰वि॰ भारत सरकार जल संसाधन मंत्रालय नई दिल्ली, दिनांक 18 अगस्त, 1994.	राज्यों से अनुरोध किया गया कि कमान क्षेत्र विकास प्राधिकरण के स्थान पर राज्य स्तर पर कमान क्षेत्र विकास परिषद् और परियोजना स्तर पर सांविधिक कमान क्षेत्र विकास बोर्ड के गठन के लिए केन्द्र प्रायोजित कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम की सलाहकार समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित किया जाये। यह भी सलाह दी गई कि इन बोर्डों में किसानों के प्रतिनिधि हो तथा अन्य गैर-सरकारी व्यक्ति हो जो बहुमत में हो।
4.	पत्र सं॰ 7—1/95 क॰क्षे॰वि॰ भारत सरकार जल संसाधन मंत्रालय नई दिल्ली, दिनांक 19 जून, 1995.	केन्द्रीय जल संसाधन और संसदीय कार्य मंत्री द्वारा राज्यों के मुख्यमंत्रियों को एक पत्र लिखा गया था जिसमें राज्य स्तर पर सांविधिक कमान क्षेत्र विकास बोर्डों के गठन और उपयुक्त स्तर पर किसानों की सहभागिता के लिए अनुरोध किया गया था। जलीय यूनिटों के आधार पर किसानों तथा किसान संघों को शामिल करते हुए 60 प्रतिशत अथवा अधिक गैर-सरकारी व्यक्तियों के साथ राज्यों को राज्य स्तर कमान क्षेत्र विकास परिषद् परियोजना स्तर पर सांविधिक कमान क्षेत्र विकास बोर्ड के गठन के दिशानिर्देश दिए गए और यह अनुरोध किया गया कि किसानों की सहभागिता से संबंधित सलाहकार समिति की पहले सूचित की गई सिफारिशों को कार्यान्वित किया जाये।
5.	पत्र सं॰ 7—1/95 क॰क्षे॰वि॰ भारत सरकार जल संसाधन मंत्रालय नई दिल्ली, दिनांक 19 जुलाई, 1995.	राज्यों को सलाह दी गई कि सहभागी सिंचाई प्रबंध के कार्यान्वयन के लिए नीति पहल पर विचार करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय कार्यकारी दल का गठन किया जाये।

1	2	3
6.	पत्र सं० 7—14/95 क०क्षे०वि० भारत सरकार जल संसाधन मंत्रालय नई दिल्ली, दिनांक 9 नवंबर, 1995.	राज्यों को सलाहकार समिति की सिफारिशें भेजी गई हैं जिसमें कमान क्षेत्र विकास परिषद और कमान क्षेत्र विकास बोर्ड के गठन तथा कार्यक्रम के अंतर्गत किसानों की सहभागिता के बारे में जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार के निर्णय को दोहराया गया है।
7.		सिंचाई के प्रबंध में किसानों की सहभागिता से संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श करने के लिए 21—25 जून, 1994 के दौरान औरंगाबाद में एक सेमिनार आयोजित किया गया जिसमें कुछ राज्य सरकारों ने भी भाग लिया। 19 जून से 23 जून, 1995 तक नई दिल्ली में सहभागी सिंचाई प्रबंध पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें किसानों की सहभागिता के संबंध में विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करने के लिए राज्य सरकारों तथा गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया।

विवरण-II

कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत किसानों की सक्रिय सहभागिता के लिए की गई कार्रवाई का राज्यवार ब्यौरा

क्र० सं०	राज्य	की गई कार्रवाई
1.	आंध्र प्रदेश	सिंचाई कमानों में किसानों की पाइप समिति बनाई गई है। किसानों की भागीदारी संबंधी एक कार्रवाई अनुसंधान कार्यक्रम में लगभग 1250 हेक्टेयर की काकतीय नहर पूरी कर ली गई है। सिंचाई प्रबंध में किसानों की सहभागिता और किसान संगठन के संवर्धन की कार्रवाई योजना पर नीति पत्र का प्रारूप तैयार किया गया है। कमान क्षेत्र विकास बोर्ड का गठन करने की जांच की जा रही है। हैदराबाद में 9-10 अक्तूबर, 1995 को सहभागिता सिंचाई प्रबंध पर एक राज्य स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया था।
2.	अरूणाचल प्रदेश	कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।
3.	असम	राज्य सरकार किसानों के संघ बनाने पर सहमत हो गई है। सुक्ला परियोजना में अब तक 25 चाक समितियां बनाई गई हैं। राज्य ने सिंचाई प्रबंध में किसानों की सहभागिता से संबंधित कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कार्यदल बनाया है। असम सरकार सांविधिक कमान क्षेत्र विकास बोर्ड बनाने पर सहमत हो गई है। राज्य सरकार ने इस बारे में आवश्यक विधान लाने के लिए कुछ समय मांगा है।

क्र० सं०	राज्य	की गई कार्रवाई
4.	बिहार	कार्रवाई अनुसंधान कार्यक्रम के तहत सोन नहर की पालीगंज वितरिका में किसान संगठन बनाया गया है। बिहार सरकार द्वारा किसानों की भागीदारी आरंभ करने के लिए चार प्रायोजिक परियोजनाएं शुरू की गई हैं। कमान क्षेत्र विकास बोर्डों का गठन करने की जांच की जा रही है।
5.	गोआ	अब तक 29 किसान जल वितरिका सहकारी समितियां बनाई गई हैं। गोआ सरकार सांविधिक कमान क्षेत्र विकास बोर्ड की स्थापना करने पर सहमत हो गई है। राज्य सरकार ने यह सूचित किया है कि गोआ में किसानों और अन्य गैर-सरकारी व्यक्तियों की भागीदारी वाला कमान क्षेत्र विकास बोर्ड पहले ही मौजूद है और उपयुक्त समय पर इसे वैद्यानिक रूप प्रदान किया जाएगा।
6.	गुजरात	राज्य में 71 किसान संघ बनाए गए हैं। बड़े पैमाने पर सिंचाई प्रबंध की भागीदारी को आरंभ करने के क्रम में, गुजरात सरकार ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय दल का गठन किया है। राज्य ने विभिन्न क्षेत्रों में किसान संघों के गठन को सरल बनाने के लिए 13 प्रायोगिक परियोजनाएं प्रारंभ की हैं। गुजरात सरकार ने जल संसाधन प्रबंध में किसानों की भागीदारी आरंभ करने के लिए दिनांक 1.6.95 का संकल्प सं० पी जी आई-1093(बी)-के-3 का संकल्प भी पारित किया है। कमान क्षेत्र विकास बोर्ड के गठन की जांच की जा रही है।
7.	हरियाणा	राज्य में कुल 244 जल प्रयोक्ता समितियां हैं। कमान क्षेत्र विकास बोर्डों का गठन विचाराधीन है। राज्य स्तर पर कमान क्षेत्र विकास परिषद बनाई गई है।
8.	हिमाचल प्रदेश	राज्य में 1983 से 1992 की अवधि में 860 कृषि विकास संघ बनाए गए। राज्य ने किसानों की भागीदारी कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कार्यकारी दल का गठन किया है। कमान क्षेत्र विकास बोर्ड के गठन की प्रक्रिया चल रही है। राज्य सरकार ने सूचित किया है कि कमान क्षेत्र विकास बोर्डों के गठन के लिए उपाए किए जा रहे हैं।
9.	जम्मू व कश्मीर	राज्य ने किसान संघों के गठन के लिए कार्रवाई अभी शुरू करनी है। कमान क्षेत्र विकास बोर्ड के गठन की जांच की जा रही है। राज्य स्तर पर कमान क्षेत्र विकास परिषद बनाए गए हैं।
10.	कर्नाटक	कुल 366 किसान संघ बनाए गए हैं। राज्य ने जल प्रयोक्ता सहकारी समितियों के जरिए जल की आपूर्ति की व्यवस्था करने के लिए कर्नाटक सिंचाई (बेहतर अंशदान और जल दर संशोधन) विधेयक, 1995 पारित किया है। कमान क्षेत्र विकास बोर्डों के गठन की जांच की जा रही है।

क्र० सं०	राज्य	की गई कार्रवाई
11.	केरल	राज्य में कुल 3432 लाभग्राही किसान संघ तथा 99 नहर समितियां गठित की गई हैं। राज्य सरकार ने सूचित किया है कि कमान क्षेत्र विकास बोर्डों के गठन के लिए केरल कमान क्षेत्र विकास अधिनियम में संशोधन करने के कदम उठाए जा रहे हैं। राज्य स्तर पर कमान क्षेत्र विकास परिषद का गठन किया गया है।
12.	मध्य प्रदेश	राज्य में कुल 829 सिंचाई पंचायतें बनाई गई हैं। कमान क्षेत्र विकास बोर्ड के गठन की जांच की जा रही है।
13.	महाराष्ट्र	कुल 75 किसान संघ बनाए गए हैं। सहभागी सिंचाई प्रबंध के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए सचिव, कमान क्षेत्र विकास की अध्यक्षता में एक संचालन समिति गठित की गई है। सरकार ने किसानों की सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए एक नीति निर्णय लिया है। कमान क्षेत्र विकास बोर्ड के गठन की जांच की जा रही है।
14.	मणिपुर	राज्य सरकार ने सूचित किया है कि उन्होंने 29 किसान संघ बनाए हैं।
15.	मेघालय	राज्य सरकार ने कहा है कि कमान क्षेत्र विकास बोर्ड का गठन व्यवहारिक नहीं हो सकता क्योंकि राज्य के पास इस कार्यक्रम के अंतर्गत केवल लघु परियोजनाएं हैं।
16.	नागालैंड	राज्य सरकार ने कहा है कि कमान क्षेत्र विकास बोर्ड का गठन आवश्यक नहीं हो सकता क्योंकि राज्य के पास इस कार्यक्रम के अंतर्गत केवल लघु परियोजनाएं हैं।
17.	उड़ीसा	गांववार कुल 777 किसान संघ निर्मित किए गए हैं। उड़ीसा सरकार ने सूचित किया है कि सभी बड़े कमानों में आऊटलेट समितियां विद्यमान हैं। कमान क्षेत्र विकास बोर्ड के गठन की जांच की जा रही है। राज्य स्तर पर कमान क्षेत्र विकास परिषद का गठन किया गया है।
18.	राजस्थान	राज्य ने किसान संघ के निर्माण की कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। अनौपचारिक रूप से कुल 3483 चाक समितियां गठित की गई हैं। सिंचाई प्रबंध सहभागिता का प्रारंभ करने के लिए अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। भागीदारिता सिंचाई प्रबंध पर विचार-विमर्श करने के लिए राज्य स्तर के सम्मेलन का आयोजन 6-7 अक्तूबर, 95 को जयपुर में किया गया। राजस्थान सरकार ने यह विचार व्यक्त किया कि उनकी कमान क्षेत्र विकास प्राधिकरणों की विद्यमान प्रणाली में कोई व्यवधान नहीं डालना चाहिए। राजस्थान सरकार ने बताया कि पर्याप्त संख्या में जल उपयोगकर्ता संघों का निर्माण हो जाने पर जल उपयोगकर्ता संघ के सदस्य को कमान क्षेत्र विकास प्राधिकरणों का सदस्य बनाया जाएगा।

क्र० सं०	राज्य	की गई कार्रवाई
19.	तमिलनाडु	850 से अधिक किसान संघ पहले से ही विद्यमान हैं। कमान क्षेत्र विकास बोर्ड के निर्माण की जांच चल रही है। किसानों की भागीदारिता पर विचार-विमर्श करने के लिए एक राज्य स्तर के सम्मेलन का आयोजन 27-28 अक्तूबर, 1995 को मद्रास, तमिलनाडु में किया गया है।
20.	त्रिपुरा	किसान संघ के निर्माण के लिए अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। वृहद/मध्यम परियोजनाओं के पूरा न होने के कारण राज्य इस समय कमान क्षेत्र विकास बोर्ड के गठन का समर्थन नहीं करता है।
21.	उत्तर प्रदेश	शारदा सहायक कमान में आऊटलेट स्तर से नीचे जल प्रबंध समितियां गठित की गई हैं। वाल्यूमीटरिक आधार पर जल का वितरण करने के लिए प्रायोगिक परियोजना के रूप में 1989-90 में सिंचाई सहकारी समिति का गठन किया गया था। कमान क्षेत्र विकास बोर्ड के निर्माण की जांच की जा रही है।
22.	पश्चिम बंगाल	पंचायती राज संस्थानों के अंतर्गत विद्यमान लाभ-ग्राही समितियों को मद्देनजर रखते हुए राज्य किसान राज्य संघों के निर्माण का समर्थन नहीं करता है।

Opening a New Kendriya Vidyalaya in Janakpuri, New Delhi

1918. SHRIMATI MALTI SHARMA: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there are 60 to 70 students in each section of primary classes in Kendriya Vidyalaya, Janakpuri, New Delhi;

(b) whether it is also a fact that it is adversely affecting the teaching of the students of primary classes; and

(c) if so, whether there is a proposal to open additional sections in the primary classes of the school or open a new Kendriya Vidyalaya in the area?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF EDUCATION & DEPARTMENT OF CULTURE) (KUMARI SELJA): (a) to (c) According to information furnished by Kendriya Vidyalaya Sangathan, the enrolment in Kendriya Vidyalaya, Janakpuri in classes II, III & V is between 60 and 70 students in each Section. This generally affects the individual attention given by the teachers to each student. However, it has not been possible for the Kendriya Vidyalaya Sangathan to provide for additional Sections due to lack of infrastructural facilities. There is also no proposal for opening a new Kendriya Vidyalaya in Janakpuri.

Minimum support price for cotton

1919. SHRI JAGIR SINGH DARD: DR. SHRIKANT RAMCHANDRA JICHKAR:

Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether the minimum support price for cotton has been declared for the current season, if so, the details thereof;

(b) the annual minimum support prices for cotton during the last five years and the respective market prices for that period;

(c) the respective growth of support prices, market prices annually for the last five years and the respective increase in